रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2006/आषाढ़ 7, 1928
No. 137] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2006/ASADHA 7, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2006

सं. 27 (आर ई-2006)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/005/एएम 07/पी सी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

पैरा 3.19.1 के उप पैरा 1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

"विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के अधीन 1-4-2006 के बाद किए गए निर्यात के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए आवेदन आयात-निर्यात प्रपत्र में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किए जाएंगे। आवेदक एक या अधिक आवेदन इस शर्त पर दाखिल कर सकता है कि प्रत्येक आवेदन में 50 से अधिक शिपिंग बिल नहीं होने चाहिए। किसी एक आवेदन में सभी शिपिंग बिल केवल एक सीमाशुल्क सदन से किए गए निर्यात से संबंधित होने चाहिएं। विशेष कृषि उपज योजना के अधीन 1-4-2005 से 31-3-2006 तक किए गए निर्यात पर यह प्रक्रिया समान रूप से लागू होगी।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के.टी. चाको, विदेश व्यापार महानिदेशक और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th June, 2006

No. 27 (RE-2006)/2004—2009

F. No. 01/94/180/005/AM 07/PC-I.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. 1) :

Sub para 1 of para 3.19.1 is amended as under :—

"The application for grant of credit under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana for export made from 1-4-2006 onwards shall be made to the regional authority concerned in the Aayaat Niryaat Form along with the documents prescribed therein. The applicant may file one or more applications subject to the condition that each application shall contain not more than 50 shipping bills. All the shipping bills in any one application must relate to exports made from one Customs House only. This procedure will equally apply to the exports made from 1-4-2005 till 31-3-2006 under the then Vishesh Krishi Upaj Yojana."

This issues in Public interest.

K.T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

1930 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.